न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 03/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन, जिला अजमेर

.......प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमति सोनी पत्नि श्री पांचू

2– श्रीमति भगवती पुत्री श्री पांचू

दोनों जाति सरगरा, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–09.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11.11.1975 को ग्राम पंचायत रामपुरा डाबला में आयोजित शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पति/पिता श्री पांचू पुत्र श्री हरदेव, जाति सरगरा, निवासी ग्राम सेठन, तहसील पीसांगन (तत्कालीन तहसील अजमेर), जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम सेठन स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर पुराना 303 रकबा 36–14–00 बीघा भूमि किस्म बीड़ में से 06–00–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम सेठन स्थित आराजी खसरा संख्या पुराना 303

रकबा 36—14—00 बीघा किस्म बीड़ में से 06—00—00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता को आवंटित की गई थी, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 470/1867 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी—2 बने हैं। उक्त आवंटन आदेश की पालना में आवंटित आराजी का आवंटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 15.07.1998 स्वीकृत किया गया। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है एवं पटवारी हल्का सेठन की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2024 के अनुसार उनके वारिसान अप्रार्थीगण हैं। उनका कथन है कि आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर कभी काश्त नहीं की गई एवं आराजी पर गैर खातेदारान/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा पटवारी हल्का सेठन की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2024 के अनुसार आराजी मौके पर रिक्त पड़ी है। इस प्रकार मौके पर आवंटित आराजी पर गैर खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अन्त में उन्होने कथन किया कि आवंटी/गैर खातेदारों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटी/अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर आवंटन के समय से ही कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं वर्तमान में भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। प्रश्नगत आराजी मौके पर रिक्त पड़ी है तथा पशु चराई हेतु उपयोग में आ रही है। इस प्रकार आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाकर आवंटन शर्तों के अनुरूप भूमि काश्त के अधीन नहीं लाई गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन श्री पांचू पुत्र श्री हरदेव, जाति सरगरा, निवासी ग्राम सेठन, तहसील पीसांगन के पक्ष में ग्राम सेठन स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर पुराना 303 रकबा 36—14—00 बीघा भूमि किस्म बीड़ में से 06—00—00 बीघा भूमि वर्तमान खसरा संख्या 470/1867 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी—2 का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर